दक्षिण मध्य रेलवे

संरक्षा. 387 / फ्लाई / 07 / 2025

फ्लाई लीफ सं. 07 / 2025

ध्यान दें..... सर्वसंबंधित .....

मानसून के दौरान ट्रैक पर गश्त

(संदर्भ:, वर्ष 2025-26 के लिए मानसून के दौरान ट्रैक की मानसून गश्ती और संवेदनशील स्थानों/पुलों की निगरानी के लिए मानक अनुदेशों पर सीटीई का दिनांक 02.05.2025 पत्र सं. डब्ल्यू. 363/पी/वॉल्यूम XIV)

1.0 मानसून गश्त के संबंध में विस्तृत अनुदेश भारतीय रेलवे रेलपथ नियमावली 2024 के अध्याय-X और साधारण व सहायक नियम 2020 के परिशिष्ट-IV में दिए गए हैं. किसी भी संदेह की स्थिति में प्रधान मुख्य इंजीनियर के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है.

1.1 **मानसून अवधि:** दक्षिण-मध्य रेलवे के विभिन्न सेक्शनों पर मानसून गश्ती की जाने वाली अवधि का विवरण संदर्भित पत्र के अनुलग्नक-I में दिया गया है. यदि मानसून पहले आ जाता है, तो गश्ती, संवेदनशील पुलों/स्थानों की निगरानी का कार्य तदनुसार पहले कर दिया जाएगा और इसी प्रकार यदि मानसून विनिर्दिष्ट अवधि से आगे जारी रहता है, तो सेक्शनों की गश्त, संवेदनशील पुलों/स्थानों की निगरानी का कार्य वास्तविक में मानसून के अंत तक जारी रखा जा सकता है.

1.2 **संवेदनशील स्थानों पर नजर रखना:** संवेदनशील स्थानों को भारतीय रेलवे रेलपथ नियमावली 2024 के पैरा 1006 में परिभाषित किया गया है.

रेलपथ नियमावली 2024 के पैरा 1006 (3) के अनुसार मानसून अवधि के दौरान संवेदनशील पुलों/स्थानों की सुरक्षा चौबीसों घंटे की जानी है.

हालाँकि, अपर्याप्त जलमार्ग वाले पुलों पर केवल तभी नजर रखने की आवश्यकता है जब:-

(i) जलग्रहण क्षेत्र में चिन्हित रेलवे प्रभावित टैंक (राज्य इंजीनियर समिति द्वारा चिन्हित) है.

या

दोनों मार्गों पर तटबंध के ऊपर से भारी बाढ़ आने का खतरा है.

(ii) इससे पुल का स्वयं क्षतिग्रस्त होने का खतरा है. अपर्याप्त जलमार्ग वाले संवेदनशील पुलों के अन्य सभी मामलों में, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर अपने विवेक से स्थिर चौकीदारों की नियुक्ति से छूट दे सकते हैं, बशर्ते कि उस सेक्शन पर मानसून गश्त लागू हो, जो मुख्य पुल इंजीनियर/प्रधान मुख्य इंजीनियर के अनुमोदन के अधीन है, जिसके लिए वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर द्वारा विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत की जा सकती हैं.

i. जहां दो या अधिक संवेदनशील स्थान/पुल 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थित हों, वहां एक ही चौकीदार द्वारा निगरानी की जा सकती है, बशर्ते कि दृश्यता की कोई समस्या न हो, ताकि निगरानी के साथ-साथ आने वाली गाड़ियों के बारे में चालक को चेतावनी भी दी जा सके.

ii. संवेदनशील स्थानों/पुलों के संबंध में, मंडलों ने अपेक्षित समीक्षा की है तथा पुलों/संवेदनशील स्थानों को अद्यतन करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं तथा उन्हें अंतिम रूप दिया जा चुका है. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है (उपर्युक्त संदर्भाधीन पत्र का अनुलग्नक-II)

iii. पिछले इतिहास और मानसून पूर्व निरीक्षणों के आधार पर सहायक मंडल इंजीनियर और मंडल इंजीनियर द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशील स्थानों/किलोमीटर की समीक्षा की जानी चाहिए और संवेदनशील स्थानों के रजिस्टर को अद्यतन किया जाना चाहिए. (संदर्भ: बोर्ड के दिनांक: 02.06.2022 के पत्र सं. 2016/सीई-II/संरक्षा/पूर्वोपाय की मद संख्या iv).

iv. मुख्यालय द्वारा अनुमोदित समीक्षा के आधार पर सूची से हटाए गए संवेदनशील स्थानों/पुलों के मामले में नियमित मानसून गश्ती दल और संबंधित गैंग और पर्यवेक्षी प्राधिकारियों द्वारा विशेष रूप से निगरानी जारी रखी जाएगी. संबंधित वरिष्ठ मंडल इंजिनियर/मंडल इंजीनियर यह सुनिश्चित करेंगे कि हटाए गए ऐसे स्थानों/पुलों को गश्ती दल के संबंधित बीट चार्ट और उनकी डायरी में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाए ताकि गश्ती दल द्वारा अपनी बीट के दौरान इन पर नजर रखी जा सके.

v. यदि किसी ब्लॉक सेक्शन को केवल कुछ विशिष्ट स्थानों जैसे संवेदनशील पुलों आदि के अस्तित्व के कारण संवेदनशील के रूप में पहचाना जाता है, तो पूरे ब्लॉक सेक्शन पर नियमित मानसून गश्त के बजाय ऐसे स्थानों को स्थिर चौकीदारों द्वारा कवर करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है.

vi. पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पत्थर गिरने की घटनाएं होती हैं, वहां ढीले पत्थरों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए. इस तरह के ढीले पत्थरों को व्यवस्थित तरीके से गिराया जाना चाहिए. (संदर्भ:- बोर्ड के दिनांक: 02.06.2022 के पत्र संख्या 2016/सीई-II/सुरक्षा/सावधानी की मद संख्या iii).

vii. उन स्थानों की पहचान की जानी चाहिए जहां पटरियों पर पेड़ों के गिरने की आशंका है तथा रेल सेवाओं में व्यवधान से बचने के लिए ऐसे पेड़ों को काटने या पेड़ों की शाखाओं की छंटाई जैसे निवारक उपाय किए जाने चाहिए.

1.3 पहचान के लिए नियमित मानसून गश्ती दिशानिर्देश

वर्तमान अनुदेश इस प्रकार हैं:- "रेलपथ नियमावली 2024 के पैरा 1004 के अनुसार: मानसून के दौरान, रेलवे लाइन के कुछ सेक्शनों पर, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, बाढ़ से होने वाले नुकसान जैसे कि दरारें, निपटान, फिसलन और घिसाव का पता लगाने के लिए गश्त की जाएगी और जब आवश्यक हो, तो गाड़ियों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी. वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर संबंधित सहायक मंडल इंजीनियर और वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ के साथ व्यक्तिगत निरीक्षण के बाद नियमित मानसून गश्त द्वारा कवर किए जाने वाले ब्लॉक सेक्शन का निर्णय लेंगे. इस संबंध में दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

(i) साथी कर्मचारियों, कीमैनों और पुराने रेलपथ निरीक्षकों, जिन्होंने सेक्शनों में काम किया हो, की योग्यता को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि ब्लॉक सेक्शन को नियमित मानसून गश्त के अंतर्गत लाया जाना चाहिए या नहीं तथा उनके अनुभव और ज्ञान पर भी विचार किया जाना चाहिए.

(ii) सुरक्षात्मक उपायों के माध्यम से पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर कार्रवाई की गई, जैसे कि जलमार्ग का पुनर्निर्माण/विस्तार, पुलों में फर्श और ड्रॉप दीवारों का प्रावधान, पहुंच मार्गों पर किनारों की ढलानों की पिचिंग, अन्य संवेदनशील स्थान, नदी प्रशिक्षण कार्य, ट्रैक की देखभाल आदि.

(iii) ऊंचे तटबंध और गहरी कटाई, ट्रैक की ओर जमीन की तीव्र ढलान के साथ भारी श्रेणीबद्ध सेक्शन आदि, पार्श्व ढलानों की मिट्टी के खिसकने, पत्थर गिरने आदि की प्रवृत्ति के साथ कटाई आदि, यदि भूभाग की प्रकृति के कारण अल्प समय में असुरक्षित स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो वे नियमित मानसून गश्त के लिए विशेष ध्यान देने योग्य हैं.

1.4 उपर्युक्त पत्र के अनुलग्नक-I के अनुसार सेक्शनों की सूची मानसून अनुदेश 2022 पर ब्लू बुक के अनुसार है, इसमें शामिल नहीं किए गए सेक्शनों की समीक्षा, बीच की अवधि के दौरान मानसून अवधि में असामान्य घटनाओं आदि सहित प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए की जा सकती है.

1.5 सेक्शनों में यात्री गाड़ियों के लिए गश्ती बीट के वास्तविक समय में से अधिकतम समय दिया जाएगा. यह गश्त उस सेक्शन पर आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है, जहां रात के समय कोई यात्री सेवा उपलब्ध नहीं है. ऐसे स्थानों के लिए, 15.05 (सावसनि 2020) के सहायक नियमों के अंतर्गत परिशिष्ट-IV के पैरा 2.7 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की जानी है.

निम्नलिखित परिस्थितियों में लाइनों की गश्त को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा:

(ए) उन शाखा लाइनों पर जहां रात के समय कोई यात्री गाड़ी नहीं चलाई जाती है, वहां गश्त करने की आवश्यकता नहीं होती है. ऐसे सेक्शनों पर, पहली गाड़ी के गुजरने से पहले पूरी लंबाई तक चलना कीमैन का कर्तव्य होगा तथा मानसून अवधि के दौरान उनके कार्य घंटों को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाएगा.

(बी) जब रात के शुरुआती घंटों के दौरान ही यात्री गाडियां चलाई जाती हैं, तो अंतिम यात्री गाड़ी के गुजरने के बाद रात्रि गश्त रोकी जा सकती है, लेकिन अगली सुबह पहली यात्री गाड़ी से पहले, 15.05 के परिशिष्ट-IV के पैरा संख्या 2.6.2.1 (सावसनि-2020) के अनुसार लाइन पर गश्त की जानी चाहिए.

(सी) इसी प्रकार, जब रात्रि के समय कोई यात्री गाड़ी न चलाई जा रही हो, लेकिन सुबह के समय यात्री गाड़ियां चलाई जा रही हों, तो गश्त की व्यवस्था केवल सुबह के समय ही की जा सकती है, ताकि पहली गाड़ी के गुजरने से पहले कम से कम एक बार गश्त की जा सके.

(डी) तथापि, यदि इन सेक्शनों पर रात्रि में गाड़ियां चलाना आवश्यक पाया जाता है, तो मंडल रेल प्रबंधक कम से कम 24 घंटे पहले संबंधित सेक्शनों के सहायक विद्युत इंजीनियरों तथा सभी स्टेशन मास्टरों से सीधे संपर्क करेगा तथा स्टेशन मास्टर तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ तथा निकटतम गैंगमेट को देगा, जो लाइन पर गश्त करने के लिए गैंगमैनों को तैनात करेंगे.

1.6 मौसम संबंधी चेतावनी सूचना प्राप्त होने पर या असामान्य वर्षा/चक्रवाती मौसम के दौरान गश्त आरंभ करना.

1.6.1 आईआरपीडब्ल्यूएम 2024 के पैरा 1129 की मुख्य शर्तें निम्नानुसार हैं:-

i. खराब मौसम की चेतावनी प्राप्त करने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र के साथ व्यवस्था की गई है, जिसमें तेज हवाएं, चक्रवात और भारी वर्षा शामिल हैं. ये चेतावनियाँ मुख्य नियंत्रक, केंद्रीय नियंत्रण, रेल निलयम, सिकंदराबाद द्वारा प्राप्त की जाएंगी, जो प्राप्त सूचना को सभी नियंत्रणों को अग्रेषित करेंगे.

ii. मौसम/चक्रवात की चेतावनी प्राप्त होने पर रेलपथ निरीक्षक को मानसून गश्ती दल/चौकीदारों और गैंगमेटों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह देने की व्यवस्था करनी चाहिए. अच्छे मौसम के दौरान, उन्हें यथाशीघ्र मानसून गश्त आरंभ करनी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार सभी संवेदनशील स्थानों और पुलों पर दिन के साथ-साथ रात में भी मौसम/चक्रवात चेतावनी संदेश में विनिर्दिष्ट अवधि से 48 घंटे आगे तक की अवधि के लिए चौकीदार तैनात करना चाहिए.

कनिष्ठ इंजीनियर/वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ) को चेतावनी अवधि के दौरान तथा यदि गाड़ियां चल रही हों तो 48 घंटे बाद तक, जहां तक संभव हो ट्रॉली द्वारा अपने सेक्शन में उपस्थित रहना चाहिए.

iii. स्टेशन मास्टर से सूचना प्राप्त होने पर गैंगमेट को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए:-

(ए) ठीक मौसम के दौरान, स्टेशन यार्ड गैंग के गैंगमेट को दोनों ओर के ब्लॉक सेक्शनों पर गश्त करने तथा मध्यस्थ गैंगमेटों को सतर्क करने के लिए गश्ती उपस्करों से लैस दो विश्वसनीय ट्रैक मेंटेनर की तैनाती करनी चाहिए.

(बी) मानसून अवधि के दौरान भी, स्टेशन यार्ड गैंग के गैंगमेट को मध्यस्थ गैंगमेट, गश्ती दल और चौकीदारों को सतर्क करने के लिए विपरीत दिशाओं में 2 ट्रैक मेंटेनर भेजने चाहिए.

(सी) यदि मानसून या मौसम के दौरान बहुत भारी बारिश या भयंकर तूफानी मौसम हो, तो सभी गैंगों के गैंगमेट और ट्रैक मेंटेनर को स्वयं पहल करके दिन के साथ-साथ रात में भी मानसून गश्त आरंभ कर देनी चाहिए. खराब मौसम की चेतावनी मिलने पर मौसम की चेतावनी की अवधि के दौरान तथा उसके 48 घंटे बाद तक गश्त करने के लिए इसी प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए.

1.6.2 आईआरपीडब्ल्यूएम 2024 के पैरा 1003 के अनुसार, दिन या रात के दौरान असामान्य वर्षा या तूफान की स्थिति में, गैंगमेट को अपनी पहल पर, प्रभावित लंबाई पर, अन्य गश्त, यदि कोई हो, से स्वतंत्र रूप से गश्त का आयोजन करना चाहिए. अध्याय-1 "भाग-बी" के अनुसार यह रेलपथ अधिकारियों/कर्मियों का कर्तव्य है कि तूफान के दौरान ट्रैक को खराब करने वाले संभावित पेड़ों को गिरा दिया जाना चाहिए (आईआरपीडब्ल्यूएम 2024 का पैरा 106 (1) (एफ)) और (बोर्ड के पत्र संख्या 2016/सीई-II/संरक्षा/पूर्वोपाय दिनांकित: 02.06.22 की मद संख्या vii).

(ए) ट्रैक के संतोषजनक संचालन के लिए उसकी जल निकासी बहुत ज़रूरी है. स्टेशन यार्ड में जल निकासी, जिनमें से अधिकांश ट्रैक सर्किटेड हैं, न केवल ट्रैक रखरखाव के दृष्टिकोण से बल्कि सुरक्षा और संचालन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. आईआरपीडब्ल्यूएम 2024 के पैरा 641 और 662 (2) (जी) में स्टेशन यार्ड और ट्रैक सर्किट वाले क्षेत्रों में उचित जल निकासी के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है (बोर्ड के पत्र सं. 2016/सीई-II/सुरक्षा/सावधानी दिनांकित: 02.06.2022 की मद संख्या viii).

(बी) तूफानी पानी के मुक्त प्रवाह और त्वरित निकासी को सुनिश्चित करने के लिए सभी जल संचयन नालियों और साइड नालियों को गाद, वनस्पति और अन्य अवरोधों से साफ़ किया जाना चाहिए (बोर्ड के पत्र संख्या 2016/सीई-II/सुरक्षा/सावधानी दिनांकित: 02.06.2022 की मद संख्या vii).

(सी) ट्रैक पर पानी जमा नहीं होने दिया जाएगा. इस उद्देश्य के लिए, नियमित अंतराल पर क्रॉस ड्रेन की व्यवस्था की जानी चाहिए. यार्ड में, क्रॉस ड्रेन और अनुदैर्ध्य(लांगिट्युडनियल) नालियों को उचित ग्रेड पर साफ/उपलब्ध कराया जाना चाहिए (बोर्ड के पत्र सं. 2016/सीई-II/सुरक्षा/सावधानी दिनांकित: 02.06.2022 की मद संख्या ii).

1.6.3 नियमित मानसून गश्त आरंभ करने से भारतीय रेलवे रेलपथ नियमावली 2024 के पैरा 1129 (4) और पैरा 1003 में निहित प्रावधानों के अनुसार गैंगमेट की गैंग गश्त आरंभ करने की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है, जिसके अनुसार गैंगमेट मौसम की चेतावनी की सूचना प्राप्त होने पर या असामान्य वर्षा/चक्रवाती मौसम के दौरान गैंग गश्त आरंभ करने के लिए जिम्मेदार है. मौसम चेतावनी सूचना अवधि के साथ-साथ 48 घंटे के बाद तक गैंग गश्ती आरंभ की जाएगी. इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

(i) रात्रि के समय, यदि ब्लॉक सेक्शनों में नियमित मानसून गश्त होती है, तो मेट अतिरिक्त गैंगमैन की तैनाती की व्यवस्था करेगा, ताकि टैंकों से प्रभावित होने वाले संभावित कटाव और पुलियाओं, पुल के संपर्क मार्गों के टूटने आदि जैसे संवेदनशील स्थानों को कवर किया जा सके. यह मोबाइल गश्त या स्थिर चौकीदारों के रूप में हो सकता है.

(ii) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित नियमित मानसून गश्ती द्वारा कवर नहीं किए गए सेक्शन के लिए, जिसमें दिन का समय भी शामिल है, मेट अपने पूरे सेक्शन को कवर करने के लिए गश्त की व्यवस्था करेगा और साथ ही, ऊपर उल्लिखित खतरे के ज्ञात बिंदुओं को मोबाइल गश्ती या स्थिर चौकीदारों द्वारा कवर करने की व्यवस्था करेगा.

(iii) जहां स्टेशनों और ब्लॉक सेक्शन में क्वार्टर उपलब्ध हैं, वहां मंडल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेट और गैंग गश्त के लिए जितने गैंगमैन की आवश्यकता हो, उन्हें क्वार्टर में रहने की सुविधा दी जाए. गैंग गश्त के लिए उपयोग किए जाने वाले गैंगमैनों को नाम से पहचाना जाना चाहिए तथा उन्हें क्वार्टरों में रहने के लिए कहा जाना चाहिए, जिसके लिए वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ द्वारा रोस्टर बनाया जा सकता है तथा प्रत्येक गैंगमैन की बीट को दिन और रात दोनों शिफ्टों के लिए अलग-अलग मस्टर शीट में विनिर्दिष्ट और अंकित किया जाना चाहिए तथा छुट्टी/अनुपस्थिति को कवर करने के लिए पर्याप्त संख्या में रिजर्व गैंगमैन रखे जाने चाहिए. इस संबंध में, सहायक नियम 15.05 (सावसनि-2020) के अंतर्गत परिशिष्ट-IV का पैरा 9.7 नीचे पुन: प्रस्तुत है:

"खराब मौसम में, रेलपथ निरीक्षक अपने विवेक से, स्थायी मार्ग गैंगों से दो लोगों को प्रत्येक गैंगमैन हट या लाइन पर कहीं और सोने के लिए रख सकते हैं ताकि वे आपात स्थिति के लिए तत्परता से उपलब्ध हो सकें. वे अनुदेशों का पालन करने में स्टेशन मास्टर की सहायता के लिए प्रत्येक स्टेशन पर एक व्यक्ति को भी तैनात कर सकते हैं."

(iv) सहायक नियम 15.05 (सावसनि-2020) के परिशिष्ट-IV, पैरा 10.4 के अनुसार: यदि कोई गश्तीकर्मी अपने निर्धारित आगमन के 15 मिनट के भीतर नहीं आता है, तो ड्यूटी पर उपस्थित स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्रवाई करेगा: -

(a) वह ब्लॉक सेक्शन में जाने वाली रन-थ्रू ट्रेनों को रोक देगा.

(b) वह ब्लॉक सेक्शन के दूसरे छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर को भी इसी प्रकार की कार्रवाई करने की सलाह देगा तथा सेक्शन नियंत्रक, गैंगमेट और वसेइंजी/रेलपथ को भी सूचित करेगा.

(c) वह ब्लॉक सेक्शन में जाने वाली सभी ट्रेनों के लिए सतर्कता आदेश जारी करेगा, जिसमें लोको पायलट को सतर्क रहने की सलाह दी जाएगी तथा 40 किमी प्रति घंटे की गति सीमा निर्धारित की जाएगी.

1.7 मानसून गश्त आरंभ करने के लिए वरिष्ठ मंडल इंजीनियर /मंडल इंजीनियर द्वारा की जाने वाली कार्रवाई.

वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

i. मानसून गश्ती चार्ट में नवीनतम समय के अनुसार सभी यात्री/एक्सप्रेस ट्रेनों को शामिल किया गया है.

ii. मुद्रित रूप में गश्ती बीट पुस्तकें संबंधित स्टेशनों को सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं.

iii. विश्राम देने वाले कर्मचारी (रेस्ट गीवर) सहित सभी गश्तीकर्मियों को रोस्टर में शामिल कर दिया गया है तथा अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके स्थान पर अन्य लोगों को नामित किया गया है.

iv. गश्त के लिए चुने गए जवान सुरक्षा के नियमों को पूरी तरह समझते हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर वे ट्रेनों की सुरक्षा करने में सक्षम हों.

v. सभी गश्तीकर्मियों को रेलपथ नियमावली 2024 के पैरा 1004 (5) के अनुसार निर्धारित मानसून गश्ती उपस्कर उपलब्ध करा दिए गए हैं.

vi. जहां जंगल क्षेत्र या घाट सेक्शन हैं, वहां गश्त जोड़े में की जा सकती है.

vii. जहां अप और डाउन लाइनें एक ही तटबंध पर नहीं हैं या अलग-अलग स्तरों पर हैं, जहां गश्ती दल के लिए एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाना मुश्किल होगा, वहां अतिरिक्त गश्ती दल होंगे, अर्थात् प्रत्येक लाइन के लिए अलग गश्ती दल होंगे.

viii. वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर/सहायक मंडल इंजीनियर को भी बारिश के पानी के अत्यधिक प्रवाह से प्रभावित स्थानों का निरीक्षण करना चाहिए ताकि कारणों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हो सके और भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए समाधान सुझाए जा सकें (बोर्ड के पत्र संख्या 2016/सीई-II/सुरक्षा/सावधानी दिनांकित: 02.06.2022 की मद संख्या X)

1.8 वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ द्वारा की जाने वाली कार्रवाई.

1.8.1 गश्ती पुस्तकें और चार्ट.

मुद्रित रूप में आवश्यक संख्या में गश्ती बीट पुस्तकें वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी तथा उन्हें संबंधित सेक्शन के गश्ती चार्ट में दर्शाए अनुसार विशेष सेक्शन के बीट स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर के प्रभार में रखा जाएगा.

इन पुस्तकों पर क्रम संख्या अंकित होनी चाहिए तथा इन्हें ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से बीट बुक में दर्शाए गए रोस्टर के अनुसार संबंधित गश्ती दल को सौंपा जाना चाहिए. नामित नियमित गश्ती कर्मियों के विवरण भरने के अतिरिक्त, आरक्षित अवकाश और विश्राम देने वाले गश्ती कर्मियों के विवरण भी गश्ती पुस्तिका के पृष्ठ 2 से 5 में संबंधित कॉलम में वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ द्वारा विधिवत् सत्यापित उनके एलटीआई के साथ दर्ज किए जाएंगे.

इसके अतिरिक्त, गश्ती पुस्तिका में प्रत्येक स्टेशन पर प्रारंभ और समाप्त होने वाली प्रत्येक बीट के लिए निर्धारित आगमन और प्रस्थान का समय भी अंकित होना चाहिए. इन्हें वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ द्वारा तैयार किया जाएगा तथा संबंधित गश्ती पुस्तिका में (गश्ती आरेख की एक प्रति के साथ) पोस्ट किया जाएगा. गश्ती पुस्तकों में पीएससी ट्रैक और गेज परिवर्तित लाइनों के मामले में वर्तमान वर्ष के दौरान हटाए गए संवेदनशील स्थानों और पुलों को भी दर्शाया जाना चाहिए, ताकि गश्ती ड्यूटी के दौरान गश्ती दल इन पुलों पर विशेष नजर रख सके, क्योंकि इन्हें वर्तमान वर्ष की सूची से हटा दिया गया है.

सहायक स्टेशन मास्टर के कमरे में एक अलग कार्ड बोर्ड का सूचना बोर्ड प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिसमें गश्ती दल के सदस्यों के नाम, उनकी गश्ती बीट संख्या, आगमन और प्रस्थान का निर्धारित समय आदि दिया गया हो. उस सेक्शन से संबंधित वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित तथा वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ द्वारा सत्यापित गश्ती चार्ट की एक प्रति स्टेशन पर भी प्रदर्शित की जानी चाहिए.

1.8.2 गश्ती कर्मी और रिजर्व गश्ती कर्मी: "जहां तक संभव हो, गश्ती कर्मी का चयन उन लोगों में से किया जाना चाहिए जिन्हें आवास उपलब्ध कराया गया हो." यह सुनिश्चित करना सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ की जिम्मेदारी होगी कि यदि गश्त ड्यूटी के लिए नामित ट्रैक मेंटेनर बीमारी या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित हो तो उसके स्थान पर किसी अन्य ट्रैक मेंटेनर की व्यवस्था की जाए. सामान्यतः यह व्यवस्था उस स्थिति में कठिन नहीं होनी चाहिए जहां ट्रैक मेंटेनर को आवास उपलब्ध कराया गया हो. किसी स्टेशन से आरंभ होने वाली गश्त के लिए वास्तव में आवश्यक संख्या के अतिरिक्त एक ट्रैक मैंटेनर को रिजर्व गश्तीकर्मी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी के अनुपस्थित होने की स्थिति में स्थानापन्न उपलब्ध हों. इस अतिरिक्त व्यक्ति को संबंधित स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करना होगा और यदि किसी दिन गश्ती ड्यूटी के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाता है तो उन्हें रिलीज किया जा सकता है. यदि इस प्रयोजन के लिए नामित रिजर्व गश्तीकर्मी स्टेशन से उचित दूरी पर रहता है, तो उसे स्टेशन मास्टर के पास ड्यूटी पर उपस्थित होने की

आवश्यकता नहीं है, जब तक कि विशेष रूप से न बुलाया जाए. जब किसी रात को रिजर्व गश्तीकर्मी को गश्ती ड्यूटी के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसे अगले दिन गैंग में काम करना चाहिए.

1.8.3 गश्ती दल/चौकीदारों के लिए उपस्कर, सुरक्षात्मक कपड़े और उपभोग्य सामग्रियों की अधिप्राप्ति:

गश्त आरंभ करने के लिए आवश्यक उपस्कर और उपभोग्य सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ द्वारा कार्रवाई की जाएगी. उन्हें गश्ती दल/चौकीदारों को सुरक्षात्मक कपड़े उपलब्ध कराने के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए.

1.9 कनिष्ठ इंजीनियर/वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ (सेक्शनल), वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ (प्रभारी) और सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा मानसून गश्त की जांच:

i. वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ को निर्धारित किए गए अनुसार ट्रैक की गश्त की व्यवस्था करनी चाहिए, गैंगों से उपयुक्त रूप से चयनित लोगों को तैनात करना चाहिए तथा उन्हें गश्ती पुस्तिकाएं और आवश्यक उपस्कर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए.

निरीक्षण अनुसूची:-

क्र.सं.	संबंधित अधिकारी	निरीक्षण की अनुसूची
1.	कनिष्ठ इंजीनियर/ वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/ रेलपथ (सेक्शन)	पखवाड़े में एक बार ट्रेन द्वारा तथा ट्रॉली द्वारा निरीक्षण- प्रशासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार (आईआरपीडब्ल्यूएम 2024 की तालिका-1बी (पैरा 109) के अंतर्गत)
2.	वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/ रेलपथ (प्रभारी)	माह में एक बार- प्रशासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार (आईआरपीडब्ल्यूएम 2024 की तालिका-1बी (पैरा 106) के अंतर्गत)
3.	सहायक मंडल इंजीनियर	जब इसे आरंभ किया जाएगा; महीने में एक बार रात में ट्रेन/पुश ट्रॉली/मोटर ट्रॉली द्वारा गश्ती दल के काम की जाँच करनी चाहिए (आईआरपीडब्ल्यूएम 2024 की तालिका-1ए (पैरा 103) के अंतर्गत)

ii. जब मानसून गश्त आरंभ की जाती है, तो सहायक मंडल इंजीनियर को महीने में एक बार रात में ट्रेन या मोटर ट्रॉली द्वारा गश्ती दल के काम की जांच करनी चाहिए.(बोर्ड के पत्र सं.2016/सीई-II/सुरक्षा/सावधानी दिनांकित: 02.06.2022 की मद संख्या ix).

iii. निरीक्षण अधिकारियों को आईआरपीडब्ल्यूएम-2024 में निहित अनुदेशों के बारे में गैंग मेट और गैंगमैन के ज्ञान का परीक्षण करना चाहिए.

iv. इन अनुदेशों को सभी संबंधित कर्मचारियों तक पहुंचाने और जागरूकता पैदा करने के लिए मंडल स्तर, उप-मंडल स्तर और वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ यूनिट स्तर पर सेमिनार आयोजित किए जा सकते हैं.

v. वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर को सूचित किया जाता है कि वे अनुलग्नक-I में शामिल न किए गए किसी अन्य अनुभाग की पहचान करें और मानसून गश्त के लिए शामिल करने हेतु इस कार्यालय को सूचित करें.

vi. सभी मंडलों को नीचे दी गई समय सारणी के अनुसार मुख्यालय कार्यालय को उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन की सूचना देनी चाहिए:

(a) सभी मंडलों को गश्ती चार्ट की प्रतियां दि.**15-05-2025** तक भेजनी होंगी**.**

(b) दि.**30-05-2025** तक मानसून गश्त और संवेदनशील पुलों/स्थानों पर नजर रखने के संबंध में की गई व्यवस्था की पुष्टि की जाए.

vii. अतिरिक्त साधारण राजपत्र मानसून अनुदेश (अर्थात् संयुक्त इंजीनियरी, परिचालन और विद्युत परिपत्र-2025) दक्षिण मध्य रेलवे वेब पर अपलोड किए जाएंगे. मानसून गश्त के लिए उपर्युक्त मानक अनुदेशों के अतिरिक्त, असाधारण राजपत्र में निहित अनुदेशों का भी पालन किया जाएगा.

इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.

***

संरक्षा संगठन **दक्षिण मध्य रेलवे**